संख्या-3204/15-7-93-16(40)/1992

प्रेषक,

श्री आशीष गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, कम्युनिटी सेन्टर,
प्रीतविहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 5 अगस्त, 1993

विषय:- डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, बागपत, मेरठ की सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल, बागपत, मेरठ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कभी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5) संस्था शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

....2

Principal

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें व्यावहारिक आदेशों और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारि[illegible] का अनुबन्ध तैयार नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराने होंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत करेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का "स्तर" निर्धारित पदों/[illegible] में रखा [illegible]

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- [illegible] संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया [illegible] निर्धारित [illegible] के भीतर प्रस्तुत किया जा[illegible] करना आदि।

3- [illegible] प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा [illegible] यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों [illegible] किया जा रहा है अथवा [illegible] में किसी प्रकार का [illegible] जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त [illegible] के विषय [illegible] जायेगा।

भवदीय,

(अशोक [illegible])
उप सचिव।

संख्या [illegible] (1)/15-7-199[illegible] तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- [illegible] उप शिक्षा निदेशक, मेरठ [illegible]
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4- [illegible] अखिल भारतीय [illegible] उत्तर प्रदेश, [illegible]
5- [illegible] माध्यमिक [illegible] बागपत।

आज्ञा से,

(अशोक [illegible])
उप सचिव।

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
BAGHPAT (U.P.)

Manager
D.A.V. PUBLIC [illegible]
BAGHPAT (U.P.)

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
BAGHPAT (U.P.)